न्यायालय श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा R.A.S., उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्या:- 80/2016

दिनांक:- 24/5/17

उनवान:-

तुलसाबाई पत्नि भेरूसिंह जाति राजपूत आयु 65 साल निवासी बम्बोरी तह0 छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज0

---वादीया

:: बनाम ::

1- देवीसिंह पिता उंकारसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बोरी तह0 छोटीसादडी
2- विष्णुसिंह पिता प्रभूसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बोरी तह0 छोटीसादडी
3- प्रभूसिंह पिता सुलतानसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बोरी तह0 छोटीसादडी
4- मानसिंह पिता गोर्धनसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बोरी तह0 छोटीसादडी
5- हिम्मतसिंह पिता नैनसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बोरी तह0 छोटीसादडी
6- श्यामसिंह पिता उंकारसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बोरी तह0 छोटीसादडी
7- भेरूसिंह पिता उंकारसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बोरी तह0 छोटीसादडी
8- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

: ---प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा0टी0एक्ट

-: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि :-

1- वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया की दत्तक माता फैफकुंवर बेवा लालसिंह राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड आराजी मौजा बम्बोरी पटवार हल्का बम्बोरी की सीमा में खातासंख्या 311 खसरा संख्या 693 रकबा 0.65 हैक्टैयर स्थित हैं जिसको वाद पत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से अंकित किया गया हैं। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस साथ पेश हैं।

2- कि वादिया की दत्तक माता के कोई जायन्दा औलाद नहीं थी जिससे वादिया की माता फेफकुंवर ने अपने जीवनकाल में वादिया को आज से करीब 55 साल पूर्व गोद रखा था तब से वादिया फैफकुंवर की पुत्री बनकर रहीं व उनकी सेवा चाकरी की व समस्त सामाजिक रितीरिवाजानुसार औपचाकिता पूर्ण की व वादिया की दत्तक माता के देहान्त होने पर समस्त सामाजिक किया कम किया व समाज के वरिष्ठ मौतबीरान के बीच समाज द्वारा वादिया को फेंफकुवर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया।

3- कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादिया की दत्तक माता के समय से ही वादिया का बिना किसी दखलंदाजी प्रतिवादीगण की जानकारी में कब्जा चला आ रहा हैं तथा प्रतिवादीगण बिना किसी हक अधिकार के वादिया को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा हैं जबकि वादिया अपनी दत्तक माता के समय से उक्त आराजीयात पर काबिज हैं। वादग्रस्त आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं हैं फिर भी प्रतिवादीगण वादिया को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा हैं जिससे मजबूरन वादिया को खिलाफ प्रतिवादीगण के यह दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना पडा।

4- कि वादिया का वादग्रस्त आराजीयात पर विगत 40 सालों से कब्जा चला आ रहा हैं जिससे वादिया एडवर्स पजेसन के आधार पर उक्त वादग्रस्त आराजीयात को अपने खातेदारी की घोषित कराने की अधिकारीणी हैं।

किया तथा शेष प्रतिवादी संख्या 5 व 6 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुवे जिससे उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 10–05–2017 को अमल में लाई गयी।

वादीया की ओर से वादीया स्वयं के बयान कराये गये तथा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, मृत्यु प्रमाण पत्र फेफकुवर प्रदर्श 3, राशनकार्ड प्रदर्श 4, आधार कार्ड प्रदर्श 5, भामाशाह कार्ड प्रदर्श 6 कराये गये।

मैंने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनि और पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हुई तथा प्रतिवादीगण 1, 2, 3, 4, 7 की ओर से इकबालिया जवाब पेश कर वादग्रस्त सम्पत्ति में वादीया का नाम जोड़ने तथा वाद को डिकी कर दिये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होने से वाद डिकी किया जाना न्याय संगत हैं।

आदेश

अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर वाद वादी डिकी किया जाकर वादीया के हक में प्रतिवादीगण के इकबालिया जवाब के आधार पर मौजा बम्बोरी पटवार बम्बोरी तह0 छोटीसादडी में खाता नंबर 311 में आ0नं0 693 रकबा 0.65 हैक्टेयर सम्पूर्ण वादिया के खातेदारी की घोषित की जाती हैं। तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व रिकार्ड में वादीया को खातेदार काश्तकार के रूप में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार डिकी जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24–5–17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी
जिला प्रतापगढ़ (राज.)